B.A II Hon's Political Science

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता लोकतंत्र का दूसरा आधारभूत सिद्धान्त है। भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

(i) भाषण और विचार - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इस स्वतंत्रता में समाचार-पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा विचार - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

(ii) शांतिपूर्ण ढंग से बिना अस्त्र-शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता — संविधान के अनुच्छेद 19 के 1(ब) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को शान्तिपूर्ण ढंग से बिना अस्त्र-शस्त्र के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

Scanned with CamScanner

(iii) समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता — अनुच्छेद 19 1(स) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे जिस समुदाय का सदस्य बन सकता है आप उसे बाध्य नहीं कर सकते है।

(iv) समस्त भारत में स्वतन्त्रता पूर्वक भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता — संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में बिना आज्ञा-पत्र के घूमने तथा निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह किसी भी स्थान पर स्थायी तथा अस्थायी निवास करके सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है। बेच सकता है तथा उपभोग कर सकता है।

(v) व्यावसायिक स्वतन्त्रता → संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, पेशा तथा

कारोबार करने की स्वतन्त्रता है। राज्य किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन राज्य व्यवसाय करने की योग्यताओं का निर्धारण कर सकता है। जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है जैसे — डॉक्टर, इन्जीनियर इत्यादि - अतः डॉक्टर के लिए चिकित्सा सम्बंधी ज्ञान आवश्यक है।

(vi) व्यक्ति के जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा — संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनु० 21 में लिखा है "किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।"

संविधान में इस अधिकार के अन्तर्गत निम्न व्यवस्थाएँ दी गयी है —

(i) किसी भी व्यक्ति को जब तक दण्डित नहीं किया जा सकता तब तक कि उसने अपराध करते

समय किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो।

(ii) अपराधी को प्रवर्तित कानून से अधिक दंड दिया जायेगा।

(iii) किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध में एक से अधिक बार दण्डित नहीं किया जा सकता।

(iv) किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(v) किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।

(vi) 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये हवालात में बन्द नहीं रखा जा सकता।

(vii) व्यक्ति अपनी इच्छा के वकील से कानूनी सलाह ले सकता है और अपने जीवन का बचाव कर सकता है।

* धारा 309 के अन्तर्गत आत्महत्या करना दण्डनीय अपराध माना गया था। लेकिन 27 अप्रैल, 1994 को उच्च न्यायालय ने धारा 309 को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है।